

19

01  
2023तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख अहकाम जो  
इस हुक्म की तामील में  
जारी हुए

पत्रावली आज पेश हुई।

वादी एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थनापत्र मय बेचान की प्रति व जमाबंदी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में वादी ने अपना समग्र हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान किया, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद भी हो चुका है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि वादी वादग्रस्त भूमि में निहित अपना समग्र हिस्सा बेचान कर चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पे उसका कोई हित शेष नहीं रहा है। ऐसी सूरत में वाद की कार्यवाही जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

लिहाजा वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक जज  
(S.D.O.) सिवाना